

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 866 / 11
संस्थित दि.: 17 / 11 / 11

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मिथुन चौधरी पिता कोमल प्रसाद चौधरी, उम्र 33 साल,
साकिन लावनी तहसील खैरलांजी थाना रामपायली,
जिला बालाघाट (म0प्र0)

..... आरोपी

—:: **निर्णय** ::—

(आज दिनांक 14 / 07 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 02 / 08 / 2011 को समय 07:05 बजे स्थान परसाटोला अन्तर्गत थाना बैहर में लोक मार्ग पर वाहन टाटासूमों क्रमांक एम.पी.19 / ई-3486 उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर कल्पनाबाई को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी (कोटि) में नहीं आती ।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 35 / 11 174 जप्ती फौतदारी की जांच में पाया गया कि दिनांक 02.08.2011 को 07:15 बजे टाटा सूमो क्रमांक एम.पी.19 / ई-3486 के चालक मिथुन चौधरी ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर कल्पनाबाई को टक्कर मार दी, जिससे कल्पनाबाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी मिथुन चौधरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 86 / 11 अन्तर्गत धारा 304ए भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से टाटासूमो वाहन एम.पी.19 / ई-3486 जप्त कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए का अपराध-विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है ।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 02 / 08 / 2011 को समय 07:05 बजे स्थान परसाटोला अन्तर्गत थाना बैहर में लोक मार्ग पर वाहन टाटासूमों क्रमांक एम.पी.19 / ई - 3486 उपेक्षापूर्वक एवं

उतावलेपन से चलाकर कल्पनाबाई को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी (कोटि) में नहीं आती ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी नरबद सिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से आठ-दस माह पुरानी है। उसकी पत्नी खेत से घर आ रही थी, रास्ते में आम के पेड़ के पास रोड पर बैहर की तरफ से एक जीप वाले ने उसकी पत्नी पर जीप चढ़ा दी थी। पड़ोस के खेत वाले ने घटना की जानकारी उसे दी थी। उसने घटनास्थल पर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की। मार्ग इन्टीमेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(07) अभियोजन साक्षी करनसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि दिनांक 02.08.2011 को वह रोड के किनारे लेटरिंग करने बैठा था, तभी उसकी भाभी बर्तन लेकर रोड के किनारे से अपने घर जा रही थी, तभी बैहर की ओर से एक जीप आई और रोड के किनारे जाकर कल्पनाबाई को टक्कर मार दी। कल्पनाबाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

(08) अभियोजन साक्षी रहसलाल (अ.सा.03) का कहना है कि घटना वर्ष 2011 की शाम के 6:00 बजे की है। घटना के समय वह घर पर चाय पी रहा था। उसी समय टक्कर होने की आवाज आई। आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंचा, साथ में उसके पिता भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर उसकी बड़े मां कल्पनाबाई और उसका लड़का कैलाश पड़ा हुआ था। कल्पनाबाई को उन्होंने उठाया एवं पानी पिलाया तो उसने वहीं दम तोड़ दिया तथा कैलाश को उठाया तो वह बेहोश हो गया था। कल्पनाबाई एवं कैलाश को टक्कर टाटा सूमो वाहन के चालक ने मारी। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

(09) अभियोजन साक्षी प्रेमबती बाई (अ.सा.04) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़ साल पुरानी हैं। ग्राम परसाटोला में रोड किनारे कल्पना पड़ी हुई थी और साथ में उसका छोटा लड़का भी था। देवर करन आ गया और उन्होंने छोटे लड़के को पानी पिलाया और कल्पनाबाई को उठाकर घर लाये। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके सामने नरबदसिंह के घर से थोड़ी दूर पर पुलिया के पास आम के पेड़ के करीब कल्पनाबाई और उसका लड़का कैलाश जा रहा था और वह उनके थोड़े पीछे था तथा उसके सामने एक सफेद रंग की जीप ने कल्पनाबाई और उसके छोटे लड़के कैलाश को टक्कर मारी।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 02.08.2011 को आरक्षक भगतसिंह क्रमांक 136 द्वारा कैलाश वल्द नरबदसिंह उम्र 05 वर्ष निवासी परसाटोला को परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण करने पर उसने

निम्न चोट पाई - चोट क्रमांक -1 एक मूंदी हुई चोट दांयी कलाई पर, जिसका आकार 2 इंच बांयी ओर 1 इंच लाल-नीले रंग की। चोट क्रमांक 2- एक कटा-फटा घाव, जिसका आकार 1 इंच बांयी ओर एवं 1 इंच सिर के सामने की तरफ, चमड़ी तक। चोट क्रमांक 3- एक मूंदी हुई चोट जो अंदर की तरफ घसी हुई थी, सिर के बाये टेम्पोरल भाग में, जिसका आकार 2 इंच बांयी 1 इंच। मरीज के सामान्य अवस्था:- मरीज आधा बेहोशी की हालत में था। नाड़ी की गति 82 प्रति मिनिट थी। उक्त चाप 90/60 था। सी.व्ही.एस हृदय की गति तेजी थी। श्वसन फेफड़े में केब्स मौजूद थे। सी.एन.एस- मरीज आधी बेहोशी की हालत में प्लांटर एक्सटेंशन था। अभिमत:- मरीज को चिकित्सा हेतु अस्पताल बैहर में भर्ती किया। उसके सिर और कलाई के लिए एक्स-रे की सलाह दी। मरीज की सामान्य दशा खराब थी। मरीज को प्राथमिक ईलाज हेतु जिला बालाघाट रिफ्र किया था। आहत को आई चोट बोथरी एवं सख्त वस्तु से आना संभव थी, जो उसके परीक्षण के 4 से 6 घण्टे के अंदर की थी। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असल रहा है। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जावे।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी नदबद सिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से आठ-दस माह पुरानी है। उसकी पत्नी खेत से घर आ रही थी, रास्ते में आम के पेड़ के पास रोड पर बैहर की तरफ से एक जीप वाले ने उसकी पत्नी पर जीप चढ़ा दी थी। पड़ोस के खेत वाले ने घटना की जानकारी उसे दी थी। उसने घटनास्थल पर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की। मार्ग इन्टीमेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। घटना किसके द्वारा कारित की गई और घटना के समय जीप कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी-2 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने पर ही करवा लिये थे। पुलिस के कहने पर प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(14) अभियोजन साक्षी करनसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि दिनांक 02.08.2011 को वह रोड के किनारे लेटरिंग करने बैठा था, तभी उसकी भाभी बर्तन लेकर रोड के किनारे से अपने घर जा रही थी, तभी बैहर की ओर से एक जीप आई और रोड के किनारे जाकर कल्पनाबाई को टक्कर मार दी। कल्पनाबाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-2डी के कथन उसने पुलिस को नहीं दिये थे और घटना होते हुए उसने नहीं देखी और न ही वह

घटनास्थल पर गया था।

(15) अभियोजन साक्षी रहसलाल (अ.सा.03) का कहना है कि घटना वर्ष 2011 की शाम के 6:00 बजे की है। घटना के समय वह घर पर चाय पी रहा था। उसी समय टक्कर होने की आवाज आई। आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंचा, साथ में उसके पिता भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर उसकी बड़े मां कल्पनाबाई और उसका लड़का कैलाश पड़ा हुआ था। कल्पनाबाई को उन्होंने उठाया एवं पानी पिलाया तो उसने वहीं दम तोड़ दिया तथा कैलाश को उठाया तो वह बेहोश हो गया था। कल्पनाबाई एवं कैलाश को टक्कर टाटा सूमो वाहन के चालक ने मारी। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने गाड़ी के नम्बर नहीं देखे। घटना कैसे घटित हुई उसे जानकारी नहीं है।

(16) अभियोजन साक्षी प्रेमवती बाई (अ.सा.04) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़ साल पुरानी हैं। ग्राम परसाटोला में रोड किनारे कल्पना पड़ी हुई थी और साथ में उसका छोटा लड़का भी था। देवर करन आ गया और उन्होंने छोटे लड़के को पानी पिलाया और कल्पनाबाई को उठाकर घर लाये। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके सामने नरबदसिंह के घर से थोड़ी दूर पर पुलिया के पास आम के पेड़ के करीब कल्पनाबाई और उसका लड़का कैलाश जा रहा था और वह उनके थोड़े पीछे था तथा उसके सामने एक सफेद रंग की जीप ने कल्पनाबाई और उसके छोटे लड़के कैलाश को टक्कर मारी।

(17) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 02.08.2011 को आरक्षक भगतसिंह क्रमांक 136 द्वारा कैलाश वल्द नरबदसिंह उम्र 05 वर्ष निवासी परसाटोला को परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण करने पर उसने निम्न चोट पाई — चोट क्रमांक —1 एक मूंदी हुई चोट दांयी कलाई पर, जिसका आकार 2 इंच बांयी ओर 1 इंच लाल-नीले रंग की। चोट क्रमांक 2— एक कटा-फटा घाव, जिसका आकार 1 इंच बांयी ओर एवं 1 इंच सिर के सामने की तरफ, चमड़ी तक। चोट क्रमांक 3— एक मूंदी हुई चोट जो अंदर की तरफ घसी हुई थी, सिर के बाये टेम्पोरल भाग में, जिसका आकार 2 इंच बांयी 1 इंच। मरीज के सामान्य अवस्था:— मरीज आधा बेहोशी की हालत में था। नाड़ी की गति 82 प्रति मिनट थी। उक्त चाप 90/60 था। सी.व्ही.एस हृदय की गति तेजी थी। श्वसन फेफड़े में केब्स मौजूद थे। सी.एन.एस— मरीज आधी बेहोशी की हालत में प्लांटर एक्सटेंशन था। अभिमत:— मरीज को चिकित्सा हेतु अस्पताल बैहर में भर्ती किया। उसके सिर और कलाई के लिए एक्स-रे की सलाह दी। मरीज की सामान्य दशा खराब थी। मरीज को प्राथमिक ईलाज हेतु जिला बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोट बोथरी एवं सख्त वस्तु से आना संभव थी, जो उसके परीक्षण के 4 से 6 घण्टे के अंदर की थी। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है एवं साक्षी नरबदसिंह (अ.सा.01), करनसिंह (अ.सा.02), रहसलाल (अ.सा.03), प्रेमवतीबाई (अ.सा.04) के कथनों से मृतक कल्पनाबाई की मृत्यु एक्सीडेंट से होना प्रमाणित होता है। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी नरबद सिंह (अ.सा.01), करनसिंह (अ.सा.02), रहसलाल (अ.सा.03), प्रेमवती बाई (अ.सा.04) के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के

कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से आरोपी ने दिनांक 02/08/2011 को समय 07:05 बजे स्थान परसाटोला अन्तर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर वाहन टाटासूमों क्रमांक एम.पी.19/ई-3486 उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर कल्पनाबाई को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की। यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता।

(18) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि मिथुन चौधरी ने दिनांक 02/08/2011 को समय 07:05 बजे स्थान परसाटोला अन्तर्गत थाना बैहर में लोक मार्ग पर वाहन टाटासूमों क्रमांक एम.पी.19/ई-3486 उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर कल्पनाबाई को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी (कोटि) में नहीं आती। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी नरबद सिंह (अ.सा.01), करनसिंह (अ.सा.02), रहसलाल (अ.सा.03) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है तथा प्रतिपरीक्षण में भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का खण्डन होने से अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद प्रतीत होता है। संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी मिथुन चौधरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके पक्ष में निष्पादित पूर्व के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटासूमो क्रमांक एम.पी.19/ई-3486 सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)